

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-3-3-2016-बयालीस(1).—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 मई 1997 को जारी क्र. एफ 50-5-96-बयालीस-1, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून 1997 को प्रकाशित शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की सोसायटी की साधारण सभा में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त में,—

(1) (1) “मंत्री, जनशक्ति नियोजन, अध्यक्ष” के स्थान पर—

“मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग—अध्यक्ष” प्रतिस्थापित किया जाना है।

(1) (2) “जनशक्ति नियोजन के भारसाधक—“प्रमुख सचिव/सचिव” के स्थान पर—

“तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के भारसाधक—अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव” प्रतिस्थापित किया जाना।

(1) “(12) संस्था के पूर्व छात्रों के रजिस्टर्ड एलुमिनी एसोशिएशन के अध्यक्ष अथवा नामांकित सदस्य—सदस्य” स्थापित किया जाना है।

Bhopal, the 2nd September 2016

CORRIGENDUM

F. 3-3-2016-XLII-1.—State Govt. Circular No. F-50-5-96-XLII-1, Bhopal, Dated 29th May 1997 published in Gazette (Extra Ordinary) Govt. of Madhya Pradesh, dated 06th June 1997 General Body of the Society of Govt. Engineering Colleges of Madhya Pradesh as amended :—

AMENDMENT

That is,—

"(1) (1) Minister, Manpower Planning—Chairman" to be replaced by;

"Minister, Department of Technical Education & Skill Development—Chairman"

"(1) (2) Principal Secretary/Secretary—In-charge of Manpower Planning Department" to be replaced by;

"Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Technical Education & Skill Development—Chairman"

"(1) (12) To be added;

"President/Nominee of registered Alumini Association—Member"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, अपर सचिव.